भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
'खनिज भवन', मोपालपानी, देहरादून।

संख्याः /भू0वि0ख0अन0–IX(i)/मु0ख0/ई–नीला0/07-UTR-कुकरेड़ा/2024–25, दिनांक 07 ~~फरवरी~~ मार्च, 2025

वित्तीय निविदा का परिणाम

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 977/VII-A-1/2023–24ख/2007, दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के अध्याय–4 के नियम–20 (1), (2) एवं (4) के प्राविधानों के क्रम में निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 4615/र0ख0ला0/ई0नी0/वि0का0ज्ञ0/भू0खनि0नि0/2024–25, दिनांक 24 अक्टूबर, 2024 के द्वारा विज्ञप्तिकरण हेतु प्रदत्त स्वीकृत के क्रम में कार्यालय के निविदा आमंत्रण प्रपत्र संख्या 4647/भू0वि0ख0अन0–IX/भू0खनि0निदेशा0/ 2024–25, दिनांक 25.10.2024 के द्वारा जनपद उत्तरकाशी की तहसील मोरी के ग्राम कुकरेडा के क्षेत्रान्तग्रत राज्य सरकार की भूमि व वन पंचायत की भूमि खसरा संख्या 2, 45, 57 से 60, 68, 90, 129, 188, 198, 321, 796, कुल रकवा 31.342 है0 सिलिका सैण्ड उपखनिज क्षेत्र हेतु प्रति वर्ष उपखनिज की निकासी की मात्रा 6,00,512.72 टन एवं आधार मूल्य रू0 6,00,51,272.00 निर्धारित करते हुए, उक्त नियमावली के नियम 20(2) के प्रावधानानुसार स्वस्थानें प्रकृति के सिलिका सैण्ड लॉट को भारत के नागरिक/नागरिकों की समितियों/फर्म/कम्पनियों को 25 वर्ष की अवधि हेतु ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से आवंटन के लिए तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा में इच्छुक बोलीदाताओं हेतु निर्धारित समय–सारणी के अनुसार ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके क्रम में उक्त लॉट की तकनीकी निविदा निर्धारित तिथि दिनांक 26.11.2024 (मंगलवार) को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी, जिसमें अर्ह निविदादाता प्राप्त न होने के कारण निदेशालय के पत्र दिनांक 26.11.2024 के द्वारा उक्त लॉट की निविदा की कार्यवाही को निरस्त करते हुए पुनः निविदा आमंत्रण किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी। निविदा आमंत्रण प्रपत्र संख्या 5832/भू0वि0ख0अन0–IX/भू0खनि0 निदेशा0/2024–25, दिनांक 18.12.2024 एवं संशोधित आमंत्रण प्रपत्र संख्या 6345/भू0वि0ख0अन0–IX/भू0खनि0निदेशा0/2024–25, दिनांक 13.01.2025 के द्वारा पुनः ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसकी तकनीकी निविदा दिनांक 06.01.2025 (सोमवार) को खोली गयी, जिसमें अर्ह निविदादाता प्राप्त न होने के कारण निदेशालय के पत्र दिनांक 31.01.2025 के द्वारा उक्त लॉट की निविदा की कार्यवाही को निरस्त करते हुए पुनः निविदा आमंत्रण किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी। निविदा आमंत्रण प्रपत्र संख्या 6835/भू0वि0ख0अन0–IX/भू0खनि0निदेशा0/ 2024–25, दिनांक 10.02.2025 के द्वारा पुनः ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा दिनांक 01.03.2025 (शनिवार) को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी, जिसका परिणाम दिनांक 05.03.2025 को घोषित किया गया।

निदेशालय के पत्र संख्या 7340/भू0वि0ख0अन0–IX (i)/मु0ख0/ई–नीला0/2024–25 दिनांक 05 मार्च, 2025 के द्वारा निविदा समिति की संस्तुति दिनांक 01.03.2025 के अनुसार जनपद उत्तरकाशी की तहसील मोरी के ग्राम कुकरेडा के क्षेत्रान्तग्रत राज्य सरकार की भूमि व वन पंचायत की भूमि खसरा संख्या 2, 45, 57 से 60, 68, 90, 129, 188, 198, 321, 796, कुल रकवा 31.342 है0 सिलिका सैण्ड लॉट की तकनीकी निविदा में निम्न निविदाताओं को सफल घोषत किया गया है–

क्र0सं0	निविदादाताओं का नाम	तकनीकी निविदा का परिणाम
1	2	3
1.	Bhagwana Wines and Spirit Private Limited, Kh no. 315/212, H.No. D-15/674, F/Floor, Ganesh Nagar-II, Shakarpur, Laxmi Nagar, New Delhi, 1100902	अभिलेख पूर्ण, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017 के नियम 20(16) के प्राविधानानुसार वित्तीय निविदा में प्रतिभाग हेतु सफल घोषित।

ई–निविदा सह ई–नीलामी की तकनीकी निविदा में सफल घोषित निविदाकारों की वित्तीय निविदा दिनांक 05.03.2025 समय अपराहन 3.00 बजे खोली गयी, जिसका परिणाम निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	बोलीदाताओं का नाम	वित्तीय निविदा में प्राप्त उच्चतम बोली (धनराशि रू0 में)	वित्तीय बोली में प्राप्त उच्चतम बोली के अनुसार H1 का परिणाम (रू0 में)
1	2	3	4
1.	Bhagwana Wines and Spirit Private Limited, Kh no. 315/212, H.No. D-15/674, F/Floor, Ganesh Nagar-II, Shakarpur, Laxmi Nagar, New Delhi, 1100902	6,00,53,272.00	H1

उपरोक्तानुसार ई–ऑक्शन सॉफ्टवेयर से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं को उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के सुसंगत नियम 25(1) के द्वारा उपरोक्त वर्णित तालिकानुसार प्रतिभागी निविदाकार/बोलीदाताओं को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली के आधार पर क्रमशः H1 घोषित किया जाता है।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार वित्तीय निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने एवं सफल बोलीदाताओं (H1 से H3 तक) की घोषणा किये जाने के उपरान्त सर्वप्रथम वित्तीय निविदा के सफल बोलीदाताओं में एच–1 बोलीदाता को उनके द्वारा प्रस्तुत उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर राशि (Earnest Money) के अतिरिक्त धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Money) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। H1 बोलीदाता द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत यदि उक्त धनराशि जमा नहीं कराई जाती है तो सम्बन्धित की जमा अर्नेस्ट मनी की धनराशि को जब्त करते हुए उनके विरूद्ध नियम–23(2)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा कोटिक्रम में H2 बोलीदाता को H1 द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली पर खनन पट्टा लिये जाने तथा उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर धनराशि (Earnest Monery) की धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Monery) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया कोटिक्रम में H3 तक अपनाई जायेगी। H3 द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत उक्तानुसार अनुपालन न किये जाने की दशा में ई–नीलामी की प्रक्रिया को समाप्त घोषित करते हुए पुनः ई–नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार Bhagwana Wines and Spirit Private Limited, Kh no. 315/212, H.No. D-15/674, F/Floor, Ganesh Nagar-II, Shakarpur, Laxmi Nagar, New Delhi, 1100902 को **H1** बोलीदाता घोषित होने के फलस्वरूप, उनके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रू0 6,00,53,272.00 (रू0 छः करोड़ तिरेपन हजार दो सौ बहत्तर मात्र) की धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि (Security Money) उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत रू0 1,50,13,318.00 (रू0 एक करोड पचास लाख तेरह हजार तीन सौ अट्ठारह मात्र) आंगणित होती है, नियमावली के उक्त नियम–25(1) में किये गये प्रावधानुसार **H1** बोलीदाता के द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने हेतु आधार मूल्य रू0 6,00,51,272.00 के 25 प्रतिशत के समतुल्य रू0 1,50,12,818.00 के सापेक्ष एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा **Haldauni Greater Noida** द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में निर्गत एफ0डी0आर0 संख्या 50301071472592 दिनांक 22.11.2024, रू0 1,50,12,818.00 (रू0 एक करोड पचास लाख बारह हजार आठ सौ अट्ठारह मात्र) के द्वारा निदेशालय में जमा की गई है, के अन्तर की धनराशि (रू0 1,50,13,318.00 – 1,50,12,818.00 = 500.00) रू0 500.00 (रू0 पांच सौ मात्र) 15 कार्यदिवस के अन्तर्गत एफ0डी0आर0 के रूप में जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष बंधक हो, जमा की जायेगी, ताकि नियमावली के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार **H1** बोलीदाता के पक्ष में प्रश्नगत क्षेत्र का सीमाबन्धन किये जाने, खनन योजना तैयार कराने, पर्यावरणीय अनुमति, एन0बी0डब्लू0एल0 (यदि आवश्यक हों) की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आशय पत्र निर्गत किया जा सकें।

अतः **H1** बोलीदाता Bhagwana Wines and Spirit Private Limited, Kh no. 315/212, H.No. D-15/674, F/Floor, Ganesh Nagar-II, Shakarpur, Laxmi Nagar, New Delhi, 1100902 को निर्देशित किया जाता है कि उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार अवशेष धनराशि रू0 500.00 (रू0 पांच सौ मात्र) 15 कार्यदिवस के अन्तर्गत एफ0डी0आर0 के रूप में जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष बंधक हो, निदेशालय में जमा करना सुनिश्चित करें।

(राजपाल लेघा)
निदेशक

संख्याः 7407 /भू0वि0ख0अन0–IX(i)/भु0ख0/ई–नीला0/07-UTR-कुकरेड़ा/2024–25, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित :–

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3. प्रभारी जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद उत्तरकाशी।
4. Bhagwana Wines and Spirit Private Limited, Kh no. 315/212, H.No. D-15/674, F/Floor, Ganesh Nagar-II, Shakarpur, Laxmi Nagar, New Delhi, 1100902

06/3/25
(राजपाल लेघा)
निदेशक